

दावा अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए. बाबत खाता विभाजन

वादीगण की ओर से श्री मदनलाल पारीक अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 से 6 एकपक्षीय इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत वाद तहसीलदार पीलीबंगा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पत्रांक 907 दिनांक 02.12.25 के आधार पर वाद पत्र निम्नानुसार खाता विभाजन किया जाता है विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा—


क. रतीराम—कालूराम—मनफूल पिसरान लेखूराम जाति जाट निवासी जाखड़ावाली

चक 13 जेड.डब्ल्यू.डी. के पत्थर नंबर 78/373 (22) के किला नंबर 6, 7, 14, ता 17, 24,25 की कुल 1.972 है. व पत्थर नंबर 78/374 (27) के किला नंबर 4, 6, 7, 14, 15 की 1.265 है. 16/.138, 17/.127 की 1.530 है. मय गैर .मु. खाला

ख. औम प्रकाश वगैरह वादी संख्या 4 से 13 तक —चक 13 जेडब्ल्यूडी के प.न. 79/373 (21) के किला नंबर 1 ता 3 , 8 ता 13, 19 ता 22 की कुल 3.239 है. व प.न. 78/374 मु.न. 27 किला न 5/.253 है. कुल 3.492 है. मय गैर मु. खाला

ग. सुभाष चन्द्र वगैरह प्रतिवादी संख्या 1 से 6 तक —चक 13 जेडब्ल्यूडी के प. न. 79/373 मु.न. 21 किला न. 4 ता 7 , 14 ता 18, 23 ता 25 की 2.960 है. प.न. 78/374 किला न0 16/.115, 17/.126, 24-25 का .506 है. प.न. 79/374 मु.न. 28 1 ता 11, 20, 21 की 3.289 कुल 6.996 है.

खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें प्राथमिक डिक्री जारी हो।


(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

